

13. अपने द्वारा अनुदत्त छूटों, अधिकार-पत्रों, अधिकृतियों के प्राप्त कर्ताओं का विवरण।	इस विभाग द्वारा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को अपनी ओर से कोई रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। पूर्व सैनिकों को ऐसी जो सुविधायें विभिन्न अन्य विभागों द्वारा प्रदान की जाती हैं, उन्हें प्राप्त करने में यह विभाग पूर्व सैनिकों की सहायता करता है।
---	---